उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-17/2017/48/92-2-17-104(जांच)/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 10 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

विधानमण्डल क्षेत्र विकास योजना एवं पूर्वान्चल विकास निधि (जिलांश) योजना के अंतर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया द्वारा कराये गये सडक निर्माण कार्यो में मुख्य प्राविधिक परीक्षक की जॉच आख्या दिनांक 16-08-2016 में पायी गयी अनियमितताओं के कारण परिलक्षित रू0 1,85,632.00 की शासकीय क्षति के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री एम0एम0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्व सिविल सर्विस रेगुलेशन (सी0एस0आर0) के नियम-351-ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता(पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0-लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच-आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

संख्या- 17/2017/48(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र सं0-जी-54/एस0टी0-सी0टी0ई0-द्वितीय/2713-119/24/ 2015-16 दिनांक 16-08-2016 की प्रति इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप पत्र गठित कर शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।(**छायाप्रति संलग्न)**

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता(पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0-लखनऊ।

3- श्री एम0एम0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधिशासी अभियंता,ग्रा0अभि0वि0,प्रखण्ड-देवरिया (सम्प्रति सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in